

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(8723-पार्ट) आ.कृ./7764-81

दिनांक: 11/01/2016

**आदेश**

विभागीय आदेश द्वारा निम्नांकित को परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 2 वर्ष के लिये कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। इनकी 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने एवं इनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इनकी सेवाये परिवीक्षाकाल में संतोषप्रद रहने की रिपोर्ट भिजवाने के फलस्वरूप वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अनुसार इन्हे कृषि पर्यवेक्षक के पद का पुनरिक्षित वेतनमान नियम 2008 (संशोधन दिनांक 28.06.2013) की अनुसूची-5 नियम-22 के अनुसार नियमित रनिंग वेतन बेन्ड 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- तथा नियमानुसार वेतन भत्ते उनके नाम के समक्ष अंकित दिनांक से देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति आदेश एवं दिनांक	कृषि पर्यवेक्षक के पद पर उपस्थिति का दिनांक	मध्याह्न पूर्व अथवा मध्याह्न पश्चात	2 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक	देय दिनांक	संबंधित कार्यालय का नाम
1	आशा राम बजारा	3368-4173 दि. 24.01.13	31.01.13	मध्याह्न पूर्व	06.03.15	07.03.15	सहायक निदेशक कृषि(वि0)भवानीमण्डी
2	शिखा अरोडा	696-911 दि. 24.04.13 1163-1174 दि. 22.05.13	21.10.13	मध्याह्न पूर्व	20.10.15	21.10.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सांगानेर
3	दीपसिंह चौधरी	3368-4173 दि. 24.01.13	30.01.13	मध्याह्न पूर्व	18.11.15	19.11.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) बडगांव
4	मोहन लाल यादव	3368-4173 दि. 24.01.13	28.01.13	मध्याह्न पूर्व	26.11.15	27.11.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) बडगांव
5	राकेश कटेवा	696-911 दि. 24.04.13	22.05.13	मध्याह्न पूर्व	05.07.15	06.07.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0)सलूमबर
6	अनिल किशोर मीणा	696-911 दि. 24.04.13	13.05.13	मध्याह्न पूर्व	12.05.15	13.05.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0)सलूमबर
7	शिवराज धारीवाल	8796-8952 दि. 22.02.13	19.03.13	मध्याह्न पूर्व	18.03.15	19.03.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सलूमबर
8	हेमराज लाम्बा	696-911 दि. 24.04.13	26.04.13	मध्याह्न पूर्व	25.04.15	26.04.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सलूमबर
9	सतपाल माहिच	696-911 दि. 24.04.13	30.04.13	मध्याह्न पूर्व	29.04.15	30.04.15	सहायक निदेशक कृषि (वि0) सलूमबर

नोट :-

- ऐसे परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जिन्हे परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है। उनके प्रकरण में वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006/पी.टी.-1 दिनांक 07.08.2014 के अनुसार 90 दिवस से अधिक अवधि को उनकी 2 वर्षीय परिवीक्षा अवधि में जोड़ा जाकर उतने ही दिवस परिवीक्षाकाल को आगे बढ़ाया गया है।
- कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण करते समय सुनिश्चित कर लें कि यह स्वीकृति उनकी सिफारिश के आधार पर जारी की जाती है।
- वेतन निर्धारण करने से पूर्व उक्त कृषि पर्यवेक्षकों की उपस्थिति दिनांक एवं स्वीकृत किए गए असाधारण अवकाश आदि का मिलान उनके सेवाभिलेख से कर लें। तदनुसार 2 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक एवं देय तिथि का मिलान करें तथा सही होने की स्थिति में वेतन निर्धारण करें। इसमें अन्तर पाये जाने पर कृषि आयुक्तालय को अविलम्ब अवगत करावें।

(1)

(कुलदीप रांका)

शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि  
तथा उद्यान राज0 जयपुर

दिनांक : 11/01/2016

क्रमांक प.2(3)(ब)(8723-पार्ट)आ.कृ./7764-81

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद झालावाड / जयपुर / उदयपुर।